राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	आलोक बांका बनाम राजधर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	355/2026	
19/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित	अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	अधिवक्ता रेस्पो. को उपस्थित होकर मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 24/03/2026 को पेश हो	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
24/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित	अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित	उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे	अधिवक्ता रेस्पो. को पूर्व में भी अवसर प्रदान किया गया था	अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है	अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/04/2026 को पेश हो	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
06/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस समायत करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20/08/2020 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थी को आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी	जिस पर रेस्पो. के अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किया जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 2660 व 2660/2 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसको सुनवाई का अवसर दिये बगैर सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित करने में क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है	विधिअनुसार एक रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसकी खाते की आराजी के स्वतंत्र उपयोग-उपभोग से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है	इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये एवं तत्पश्चात भी व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही किया जाना स्पष्ट होता है	इसके अतिरिक्त उद्धरित	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	आलोक बांका बनाम राजधर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तथ्यों से प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में जाहिर होते है। ऐसी स्थिति में अधिस्नथ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना न्यासंगत प्रतीत नही होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश दिनांक 20/08/2020 निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। साथ ही न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते है कि वे व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के आज्ञापक प्रावधानों का अनुसरण करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का शीघ्रता से विधिसम्मत निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/04/202 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर